प्रबंध संचालक की कलम से.....

मुदित कुमार सिंह
आई.एफ.एस
प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से वन आछादित एवं वन संपदा से संपन्न राज्य है। करीब 19720 ग्रामों में कुल 11185 ग्राम (56.71%) वन सीमांत ग्राम हैं एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था मूल रूप से वनों पर निर्भर हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वन संसाधनों का योगदान कृषि के बाद अगले स्थान पर है। अकाष्ठिय वनोपज जैसे- तेन्दू पत्ता, साल बीज, महुआ फूल व बीज आंवला, हर्रा, गोंद, इमली एवं माहुल पत्ता राज्य में जनजातियों एवं वनवासियों को आजीविका प्रदाय करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह गैर-विनिर्दिष्ट लघु वनोपजों का मेजबान है एवं औषधीय पौधों से व्युत्पन्न उत्पाद के माध्यम से वनों पर निर्भर जनसंख्या की आय में वृद्धि होती है। लघु वनोपज से अभिप्राय विभिन्न वन प्रजातियों से प्राप्त उपजों से है जैसे- फल, बीज, पत्तें, छाल, जड़ें, फूल एवं घांस आदि के साथ औषधीय महत्व के पूर्ण पौधें। छत्तीसगढ़ के वन इन लघु वनोपज में बहुत समृद्ध है। राज्य में वाणिज्यिक महत्व के बहुत लघु वनोपज हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर को सहकारी ढांचें पर लघु वनोपज के व्यापार एवं विकास को संग्राहकों के हित में बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित एक शीर्ष संगठन है जिसमें त्रि-स्तरीय सहकारी संरचना है जिसमें यह राज्य स्तर की शीर्ष निकाय है व 31 जिला यूनियन एवं 901 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियॉ शामिल है। वर्तमान में राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में लगभग 10,260 तेन्दूपत्ता संग्रहण केंद्र हैं (जिन्हें फड़ कहा जाता है) एवं लगभग 13.76 लाख वनोपज संग्रहण करने वाले परिवार हैं।

इन वन उपजों के संग्राहक, संग्रहण पारिश्रमिक भुगतान के अलावा कई तरीकों से लाभान्वित होते हैं, उदाहरणतः संघ द्वारा व्यापार के लाभ का वितरण एवं समूह बीमा योजनाओं जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं भी प्रदाय करता है। लेकिन गैर-विनिर्दिष्ट लघु वनोपज / औषधीय पौधों के असंगठनात्मक व्यापार ने संग्राहकों के लिए कम संग्रहण मूल्य एवं वनों से लघु वनोपज के अरक्षणीय / विनाशकारी कटाई को बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण केन्द्र एवं औद्योगिक इकाईयाँ मुख्यतः राज्य के बाहर स्थित हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 7 लघु वनोपज क्रय करने का निर्णय लिया है, उदाहरणतः इमली, साल बीज, महुआ बीज, चिरौंजी गुठली, हर्रा, कुसुमी लाख एवं रंगीनी लाख।

छत्तीसगढ़ सरकार ने वनस्पति संसाधनों को प्राकृतिक रुप में संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य को **"हर्बल राज्य"** घोषित किया है। वन के अंदर एवं बाहर औषधीय पौधों की खेती, विनाश विहिन विदोहन, संगठित व्यापार को बढ़ावा एवं लघु वनोपज आधारित उद्योगों को बढ़ावा जिससे लघु वनोपज के प्रसंस्करण का कार्य किया जा सके ताकि राज्य में अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जा सकें, ग्रामीण समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार एवं बीमा सुरक्षा प्रदाय करना ही हर्बल राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लघु वनोपज संघ द्वारा उठाए जाने वाली मुख्य गतिविधियाँ हैं।

व्यापार से प्राप्त लाभ का वितरण- संग्रहण वर्ष 2008 से तेन्दूपत्ता के व्यापार से अर्जित लाभ का वितरण निम्नलिखित तरीके से किया जाता है।

- तेन्दू पत्ता संग्राहकों को लाभ का 80% प्रोत्साहन राशि के रुप में दिया जाता है।
- लाभ का 15% अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के संग्रहण, विक्रय, गोदामीकरण व मूल्य संवर्धन के लिए होता है।
- लाभ का 5% समितियों के नुकसान की अस्थायी क्षतिपूर्ति के लिए होता है।

जूता / चप्पल वितरण- छत्तीसगढ़ सरकार ने 2006-07 से तेन्दू पत्ता संग्राहक के परिवार के एक सदस्य (पुरूष / महिला) को चरणपादुका प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस हेतु केवल वे परिवार योग्य है, जिन्होंने विगत 2 वर्षों में से कम से कम एक वर्ष में 500 गड्डी या इससे अधिक तेन्दू पत्ता का संग्रहण किया हो।

बीमा योजनाएं- सभी तेन्दू पत्ता संग्राहक जिनकी उम्र 18 से 59 साल है एवं जिनके परिवार ने पिछले दो वर्षों में से किसी एक वर्ष में 500 गड्डी या इससे अधिक तेन्दू पत्ता का संग्रहण किया है, उनका इन बीमा योजनाओं के अंतर्गत बीमा किया जाता है।

- **आम आदमी बीमा योजना**- यह योजना सभी तेन्दू पत्ता संग्राहकों के परिवार के मुखिया के लिए है। यह योजना 01.05.2007 से प्रारंभ हुई थी। वर्ष 2017-18 से केवल तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुख्या जिनकी आयु 50 से 59 वर्ष है ही इस योजना के अंतर्गत बीमित किये जाते है।

- **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जी.वाई.बी.वाई)**- यह योजना वर्ष 2017-18 में प्रारंभ हुई एवं सभी तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से

50 वर्ष तक है इस योजना अंतर्गत बीमित किये जाते है। इन बीमित सदस्यों को सामान्य मृत्यु पर 2.00 लाख रू. दिये जाएगें।

- **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई)**- यह योजना वर्ष 2016-17 में प्रारंभ हुई है एवं तेन्दू पत्ता संग्राहक जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष तक है इस योजना के अंतर्गत बीमित किये जाते है। इस योजना में बीमित व्यक्ति द्वारा नामांकित व्यक्ति को इस योजना के तहत् दुर्घटना मृत्यु में 4.00 लाख रू. दिये जाएगें।

- **समूह बीमा योजना**- यह सभी तेन्दू पत्ता संग्राहकों के लिए पुरानी बीमा योजना है, लेकिन 01.05.2007 से परिवार के मुखिया को छोड़कर अन्य परिवार के सदस्य जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष तक है, वे इस योजना के लाभार्थी है।

- **अटल समूह बीमा योजना**- यह योजना वर्ष 2011-12 से प्रारंभ हुई है।

शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएँ- यह योजना तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के बच्चों के लिए प्रारंभ की गई है। जिन्होनें पिछले दो वर्षो में से कम से कम किसी एक वर्ष में 500 गड्डी तेन्दू पत्ता का संग्रहण किया है।

- **मेधावी छात्र / छात्रा को पुरस्कार**- यह योजना वर्ष 2011-12 शिक्षा सत्र से आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक समिति में संग्राहक परिवार के बच्चें एक छात्र एवं एक छात्रा जिन्होनें अत्याधिक अंक प्राप्त किए हैं, को नगद पुरस्कार दिया जाता है।

- **व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति**- 12वीं की परीक्षा के बाद व्यावसायिक शिक्षा जैसे- मेडिकल, इंजीनियरिंग, विधि, एम.बी.ए तथा नर्सिंग आदि के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक समिति के एक छात्र को जो अधिकतम अंक प्राप्त किए है, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 में उपरोक्त छात्रवृत्ति सभी अनुसूचित जनजाति के छात्र जिन्होनें बस्तर राजस्व विभाग में बी.एस.सी नर्सिंग में प्रवेश लिया है, को प्रदान की जाती है।

- **गैर-व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति**- 12वीं की परीक्षा के बाद गैर व्यावसायिक शिक्षा जैसे बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी आदि हेतु बढ़ावा / प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्राथमिक सहकारी समिति के एक छात्र एवं एक छात्रा जिन्होनें 12 वीं की परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

- **प्रतिभाशाली छात्रों / छात्राओं के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना**- यह योजना वर्ष 2012-13 से सभी प्रतिभाशाली छात्रों के लिए प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत सभी छात्र एवं छात्राएं जिन्होनें कक्षा 10वी व 12वी में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हो उन्हें नकद पुरस्कार दिया जाता है।

मुदित कुमार सिंह